ग्राम पंचायत काबा कलाँ, ब्लॉक सोलन जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017

1 **प्रारम्भिक :**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5)सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत काबा कलाँ, ब्लॉक सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे–

प्रधान:-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री नरेश कुमार	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमति आशा ठाकुर	23.01.2016 से 31.03.2017

सचिव:-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री भीम सिंह	01.04.2014 से 14.12.2016
2	श्री प्रदीप कुमार	15.12.2016 से 31.03.2017

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:**

ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	₹लाखों में
1	गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष होना	6	0.066
2	मोबाइल टावर की फीस के रूप मे पंचायत राजस्व का लगभग वसूली हेतु शेष होना	9	0.225
3	अनुदान का उपयोग न करना	11	10.484
4	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	12	---
5	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	14	3.042

2 **वर्तमान अंकेक्षण:**

ग्राम पंचायत काबा कलाँ, जिला सोलन के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी व श्री सोम राज कपूर , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.17, 14.08.2017 व 16.08.2017 से 17.08.2017 तक पंचायत के कार्यालय मे किया गया ।

लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	12/2014	05/2014
2015-16	03/2016	01/2016
2016-17	07/2016	01/2017

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति का प्रारूपण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है । स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है , की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है । प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जांच के पश्चात अंकेक्षण के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत काबा कलाँ, *विकास खण्ड* सोलन के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 *15* दिनांक 16/08/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशि पंजाब नेशनल बैंक भोजनगर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 925702 दिनांक 17.08.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति: –

Financial position for the period 1/4/2014 से 31/ 3/2017 in respect of Grants (General Cash Book)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	544943.50	937467.00	1482410.50	616635.00	865775.50
2015-16	865775.50	642374.00	1508149.50	152160.00	1355989.50
2016-17	1355989.50	1899772.00	3255761.50	1817362.00	1438399.50

Financial position for the period 1/4/2014 से 31/3/2017in respect of income from own sources

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS		TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
		Interest	other			
2014-15	48319.36	26419.00	22497.00	97235.36	22445.00	74790.36

2015-16	74790.36	38115.00	45244.00	158149.36	26687.00	131462.36
2016-17	131462.36	5230.00	64150.00	200842.36	42096.00	158746.36

Financial position for the period 1/4/2014 से 31/3/2017 in respect of watershed/iwmp

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS		TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
		Interest	other			
2014-15	52352.00	1726.00	130000.00	184078.00	93880.55	90197.45
2015-16	90197.45	2863.00	4000.00	97060.45	29067.98	67992.47
2016-17	67992.47	2956.00	257236.00	328184.47	301257.72	26926.75

Financial position for the period 1/4/2014 से 31/3/2017 in respect of mnrega

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS		TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
		Interest	other			
2014-15	13364.80	803.00	65000.00	79167.80	79167.80	0
2015-16	0	0	822543.50	822543.50	822543.50	0
2016-17	0	0	969490.00	969490.00	969490.00	0

Overall Consolidated financial position for the year period 1/4/2014 से 31/3/2017

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	658979.66	1183912.00	1842891.66	812128.35	1030763.31
2015-16	1030763.31	1555139.50	2585902.81	1030458.48	1555444.33
2016-17	1555444.33	3198834.00	4754278.33	3130205.72	1624072.61

Detail of balances as per pass book

Sr. No.	Title of cash book	Bank name	Bank account no.	Closing balance 31.03.2017
1	General Cash Book	PNB Bhojnagar	2441000100002208	124919.00
		JCCB Solan	101834022000031	769825.50
		JCCB Solan	101834022000005	858.00
		JCCB Solan	101834022000095	61241.00
	14 th fianance commission (new account)	PNB Bhojnagar	2441000100047609	660192.00
	Bank total			**1617035.50**
2	Cash in hand			843.36
	Cement Stock Balance			**6767.00**
	Total			**1624645.86**
1	IWMP nidhi	PNB Bhojnagar	2441000100045249	22321.00
2	IWMP Grant	PNB Bhojnagar	2441000100034766	4605.75
	Grand Total			1651572.61

Difference	27500

Cheques issued but not cleared by bank (Bank Reconciliation Statement as on 31.03.2017:

Sr. No	Bank name and account number	Cheque number	Cleared on	amount
1	JCCB 101834022000095	982583	03.04.2017	12500
2	JCCB 101834022000095	982584	03.04.2017	12500
3	JCCB 1018340022000031	63082	03.04.2017	2500
	Total			**27500**

5 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में मुश्किल आई साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण/ **जांच** करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6 गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का ₹6575 वसूली हेतु शेष होना :-

आय की जाच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व की गृह कर के रूप मे ₹6575 की वसूली शेष थी।

वर्ष	परिवार	गृह कर की दर	राशि	देय राशि	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2	3	4 (2x3)	5 (7+4)	6	7 (5-6)
04/2014 से पहले						0
2014-15	248	25	6200	6200	0	6200
2015-16	253	25	6325	12525	12300	225
2016-17	254	25	6350	6575	0	6575

अतः उक्त राजस्व की वसूली करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ तथा वसूली के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

7.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8. बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 मोबाइल टावर की फीस के रूप मे पंचायत राजस्व का लगभग₹22500 वसूली हेतु शेष होना:

आय की जाच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र मे दो मोबाइल टावर लगे हुये हैं लेकिन केवल एक टावर से ही राजस्व की प्राप्ति हो रही है। निम्न विवरणानुसार वर्ष 2017 तक पंचायत के राजस्व की मोबाइल टावर की फीस के रूप मे र₹22500/- की वसूली शेष थी।

क्रम संख्या	मोबाइल टावर कंपनी का नाम	टावर स्थापित वर्ष	मोबाइल टावर संबंशित शुल्क का विवरण
1	एयरटेल	2008	2500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से शुल्क आ रहा है।
2	बीएसएनएल	2009	शुल्क नहीं आ रहा है।

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009 से 2017 कुल नौ वर्ष का शुल्क यदि ₹2500 प्रति वर्ष (जैसा कि दूसरे टावर के संबंध मे प्राप्त हो रहा है) माना जाये तो कुल ₹22500 की वसूली शेष है। उक्त वसूली न करने का औचित्य सपष्ट किया जाये या उक्त वसूली करके पंचायत निधि मे जमा करवाते हुये भविष्य मे भी शुल्क लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर को आरम्भ ही नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान ₹1048401.70 का उपयोग न करना :

पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की खाता बही की जांच पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 तक ₹1048401.70 निम्न विवरणानुसार उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए :–

क्र.सं.	खाताबही पृष्ठ	विवरण	राशि
1	267	स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.)	285200.00
2	269	डी.पी.ओ. (स्टेट एफ.सी.)	13281.70
3	272	स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.)	14716.00
4	274	कैलेमिटि रिलीफ फण्ड (सी.आर.एफ.)	75000.00
5	003	चौदहवां वित आयोग	660204.00
		कुल	**1048401.70**

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹ 50000 व इसके अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'क'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 04/2014 से 03/2017 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट –क"** में दर्शाई गईं भुगतान की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹304228 के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'ख'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा मु. 304228/- रूपये के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था या उचित तरीके से नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1)(a & b)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 MNREGA:-

16.1. नियमों की अनुपालना न कर के क्रय करने बारे (MNREGA) :-

चयनित माह के वौचरों की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी:

1. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 67 (5) (ख) के अनुसार ₹1000 से अधिक एवं ₹50000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फ़र्मों से निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है।

2. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई सामग्री को तुरंत भण्डार रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

3. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्ततः हस्ताक्षरित नहीं करता है।

4. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 50 (1) के अनुसार भुगतान करते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद लेना अनिवार्य है।

5. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होना अनिवार्य है जबकि जांच में पाया कि कोई भी वाउचर प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह मैं किए गए क्रय जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र॰सं	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कमियों का विवरण
1	150 दिनांक 09.05.14	Bill No.201 Dated 28.02.2014 M/s	300cft Sand	13050.00 (bill amt.	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी।

		Verma Enterprises.		17640)	2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3. कार्य कमेटी का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बना दिया गया जो कि लाभार्थी था। 4.माप पुस्तिका मैं मद का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था । 5.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
2	150 दिनांक 09.05.14	payment to tirath ram mistry	20 days @ 165	3300.00	1. master roll जारी नहीं किया गया था। केवल रसीद ही ली गई थी । 2. निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 3. वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
3	150 दिनांक 09.05.14	Bill No.32 Dated 14.01.2014 M/s Mohan lal and associates.	170cft Sand	8389.50	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3. कार्य कमेटी का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बना दिया गया जो कि लाभार्थी था। 4.माप पुस्तिका मैं मद का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था । 5.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
4	150 दिनांक 09.05.14	Bill No.33 Dated 15.01.2014 M/s Mohan lal and associates.	170cft Sand	8389.50	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3. कार्य कमेटी का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बना दिया गया जो कि लाभार्थी था। 4.माप पुस्तिका मैं मद का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था । 5.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
5	150 दिनांक 09.05.14	payment to harjeet singh mistry	14 days @ 165	2310.00	1. master roll जारी नहीं किया गया था। केवल रसीद ही ली गई थी ।

					2. निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 3. वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
6	150 दिनांक 09.05.14	Bill No. 0605 Dated 02.02.2014 M/s Dinesh Kumar Thakur.	400cft Sand	8304.00 (bill amt. 19200)	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3. कार्य कमेटी का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बना दिया गया जो कि लाभार्थी था। 4.माप पुस्तिका मैं मद का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था । 5.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
7	150 दिनांक 09.05.14	payment to prithvi singh mistry	22 days @ 165	3630.00	1. master roll जारी नहीं किया गया था। केवल रसीद ही ली गई थी । 2. निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 3. वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
8	150 दिनांक 09.05.14	payment to balwant singh mistry	8 days @ 165	1320.00	1. master roll जारी नहीं किया गया था। केवल रसीद ही ली गई थी । 2. निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 3. वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
9	151 दिनांक 21.05.14	Bill No. 181 Dated 20.01.2014 M/s Verma Enterprises, Bhojnagar.	300cft Sand	14377.00 (bill amt. 15120)	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3. कार्य कमेटी का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बना दिया गया जो कि लाभार्थी था। 4.माप पुस्तिका मैं मद का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था । 5.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
10	-	Muster roll no. 2332 payment date 15.01.2016	87mandays @ 162	14094.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
11	-	Muster roll no.	81manda	13122.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे।

		2371 payment date 30.01.2016	ys @ 162		2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
12	-	Muster roll no. 1413 payment date 02.01.2016	109mandays @ 162	15228.00 paid	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
13	-	Muster roll no. 1596 payment date 02.01.2016	106mandays @ 162	14742.00 paid	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
14	-	Muster roll no. 1821 payment date 02.01.2016	36mandays @ 162	3888.00 paid	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
15	-	Muster roll no. 1414 payment date 02.01.2016	100mandays @ 162	16200.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
16	-	Muster roll no. 1415 payment date 02.01.2016	6mandays @ 162	972.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
17	-	Muster roll no. 1597 payment date 02.01.2016	99mandays @ 162	16038.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
18	-	Muster roll no. 1416 payment date 02.01.2016	111mandays @ 162	17982.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
19	-	Muster roll no. 1598 payment date 02.01.2016	102mandays @ 162	16524.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
20	-	Muster roll no. 1599 payment date 02.01.2016	102mandays @ 162	16524.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
21	-	Muster roll no. 1824 payment date 02.01.2016	105mandays @ 162	17010.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
22	-	Muster roll no. 1872 payment date 02.01.2016	67mandays @ 162	10854.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं

					की गई थी।
23	-	Muster roll no. 2372 payment date 30.01.2016	67mandays @ 162	10854.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
24	-	Muster roll no. 1598 payment date 02.01.2016	102mandays @ 162	16524.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
25	-	Muster roll no. 2215 payment date 02.01.2016 and 26.02.2016	145mandays @ 162	23490.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
26	-	Muster roll no. 2333 payment date 19.01.2016	151mandays @ 162	24462.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
27	-	Muster roll no. 2346 payment date 02.01.2016	77mandays @ 162	12474.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
28	-	Muster roll no. 2376 payment date 30.01.2016	91mandays @ 162	14742.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
29	-	Muster roll no. 1417 payment date 02.01.2016 and various dates	135mandays @ 162	21870.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
30	-	Muster roll no. 1418 payment date 02.01.2016 and various dates	30mandays @ 162	4860.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
31	-	Muster roll no. 1600 payment date 02.01.2016 and various dates	132mandays @ 162	21384.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
32	-	Muster roll no. 1873 payment date 02.01.2016 and various dates	95mandays @ 162	15390.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
33	-	Muster roll no. 2081 payment date 02.01.2016 and various dates	70mandays @ 162	11340.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।

34	-	Muster roll no. 2216 payment date 02.01.2016 and various dates	102mandays @ 162	16524.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
35	-	Muster roll no. 2217 payment date 02.01.2016 and various dates	45mandays @ 162	7290.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
36	-	Muster roll no. 2374 payment date 30.01.2016	117mandays @ 162	18954.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
37	-	Muster roll no. 2375 payment date 30.01.2016	13mandays @ 162	2106.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
38	-	Muster roll no. 1171 payment date 28.01.2016	120mandays @ 170	20400.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
39	-	Muster roll no. 1172 payment date 28.01.2016	70mandays @ 170	11900.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
40	-	Muster roll no. 675 payment date 29.01.2016	117mandays @ 170	19890.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
41	-	Muster roll no. 678 payment date 29.01.2016	135mandays @ 170	22950.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
42	-	Muster roll no. 763 payment date 29.01.2016	91mandays @ 170	15470.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
43	-	Muster roll no. 804 payment date 29.01.2016	130mandays @ 170	22100.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
44	-	Muster roll no. 819 payment date 29.01.2016	60mandays @ 170	10200.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
45	-	Muster roll no. 939 payment date	36mandays @	6120.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे।

		29.01.2016	170		2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
46	-	Muster roll no. 991 payment date 29.01.2016	103mandays @ 170	17510.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
47	-	Muster roll no. 992 payment date 29.01.2016	112mandays @ 170	19040.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
48	-	Muster roll no. 676 payment date 30.01.2016	13mandays @ 170	2210.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
49	-	Muster roll no. 805 payment date 30.01.2016	90mandays @ 170	15300.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
50	-	Muster roll no. 816 payment date 30.01.2016	148mandays @ 170	25160.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।

उक्त क्रय में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत निधि का अनियमित भुगतान किया गया तथा सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं करने से सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें एवं यदि किसी प्रकार की भण्डार में कमी पाई जाती है तो इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना भी सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त अन्य नियमों का पालन न करने से अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

16.2 मसटररोलो पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित न किया जाना (MNREGA) :-

चयनित माह के वौचरों की जांच में पाया कि muster rolls पर किए गए कार्यों को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है । जिसका औचित्य सपष्ट करें तथा भविष्य मैं इसे सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

16.3 निर्माण कार्यों पर हुए खर्च से संबन्धित माप पुस्तिकाओं को जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे: –

चयनित मासों मे muster roll मे किए गए कार्य व खरीदे गए सामान के उपयोग की जांच करने हेतु माप पुस्तिकाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन जांच के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों से संबन्धित मूल्यांकन की जांच हेतु माप पुस्तिकाएँ जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं हैं। जिसे अंकेक्षण मे प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करें :

क्र.सं.	माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	राशि	कार्य का नाम	विवरण
1	PRD 7009/ 20	21870	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 1417
2	PRD 7009/ 26	4860	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 1418
3	PRD 7009/ 36-37	21384	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 1600
4	PRD 7009/ 38-39	15390	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 1873
5	PRD 7009/ 45-46	11340	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 2081
6	PRD 7009/ 52-53	16524	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 2216
7	PRD 7009/ 52-53	7290	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 2217
8	PRD 7009/ 62-63	18954	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 2374
9	PRD 7009/ 62-63	2106	Irrigation tank near Harimohan house kaba dhaarguda	Muster roll no. 2375
10	PRD 7617/3-4	20400	Irrigation tank at village jangiria	Muster roll no. 1171
11	PRD 7617/3-4	11900	Irrigation tank at village jangiria	Muster roll no. 1172
12	PRD 7617/2	17510	Irrigation tank at village jangiria	Muster roll no. 991
13	PRD 7617/2	19040	Irrigation tank at village jangiria	Muster roll no. 992

16.4 वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु रोकड़ बही का निर्माण ना करना (MNREGA)

अंकेक्षण के दौरान जांच मैं पाया गया की वर्ष 2015-16 हेतु MNREGA निधि की रोकड़ बही का निर्माण ही नहीं किया गया था। जो की एक गंभीर अनियमितता है। जिसका औचित्य सपष्ट किया जाये अथवा रोकड़ बही का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16.5 बिल से कम राशि का भुगतान करना:

चयनित माहों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की कई प्रकरणों मे किए गए कार्य या मँगवाए गए सामान हेतु बिल से कम राशि का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र०सं	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	बिल राशि (र)	भुगतान की गई राशि (र)

1	150 दिनांक 09.05.14	Bill No.201 Dated 28.02.2014 M/s Verma Enterprises.	300cft Sand	17640.00	13050.00
2	150 दिनांक 09.05.14	Bill No. 0605 Dated 02.02.2014 M/s Dinesh Kumar Thakur.	400cft Sand	19200.00	8304.00
3	151 दिनांक 21.05.14	Bill No. 181 Dated 20.01.2014 M/s Verma Enterprises, Bhojnagar.	300cft Sand	15120.00	14377.00

उक्त कम भुगतान की गई राशि बारे कोई भी सपष्टीकरण अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे कम भुगतान के कारण ज्ञात हो सके. इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य हेतु या खरीदे गए सामान हेतु बिना औचित्य के कम भुगतान करना एक गंभीर अनियमितता है। जिसका औचित्य सपष्ट करें।

17 IWMP (Watershed):-

17.1 नियमों की अनुपालना न कर के क्रय करने बारे (IWMP) :

चयनित माह के वौचरों की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी:

1. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 67 (5) (ख) के अनुसार ₹1000 से अधिक एवं ₹50000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फ़र्मों से निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है।

2. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई सामग्री को तुरंत भण्डार रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

3. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्ततः हस्ताक्षरित नहीं करता है।

4. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 50 (1) के अनुसार भुगतान करते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद लेना अनिवार्य है।

5. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होना अनिवार्य है जबकि जांच में पाया कि कोई भी वाउचर प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह मैं किए गए क्रय जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, का विवरण निम्नलिखित है :

क्र० सं	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कमियों का विवरण
1	41 दिनांक 16.01.17	Bill No.38 Dated 02.10.2016 M/s Mohan Thakur, contractor, vill. angi	300cft Sand 385cft Bajri	35332.00	1. निविदायें आमंत्रित की गई थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है की निविदाएँ sealed लिफाफे मे

					प्राप्त नहीं हुयीं। ना तो comparative statement बनाई गई और ना ही निविदाओं पर कमेटी के हस्ताक्षर थे। 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3.माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। । 4.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
2	41 दिनांक 16.01.17	गटका तुड़ान की रसीद , श्री ओम प्रकाश	350 cft@ 48	16800.00	1. निविदायें आमंत्रित की गई थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है की निविदाएँ sealed लिफाफे मे प्राप्त नहीं हुयीं। ना तो comparative statement बनाई गई और ना ही निविदाओं पर कमेटी के हस्ताक्षर थे। 2.माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। । 3.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
3	41 दिनांक 16.01.17	समान की ढुलाई श्री नेक राम	सीमेंट 70 bag @50 रेता @ 7000/ टिप्पर बजरी @ 7000/ टिप्पर शटरिंग @ 7000/ ट्रिप	42000.00	1. निविदायें आमंत्रित की गई थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है की निविदाएँ sealed लिफाफे मे प्राप्त नहीं हुयीं। ना तो comparative statement बनाई गई और ना ही निविदाओं पर कमेटी के हस्ताक्षर थे। 2.माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। । 3.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
4	41 दिनांक 16.01.17	Muster roll	Mandays 156 @ 200 22@ 242	36524.00	1. muster roll पर केवल कार्य कमेटी के अध्यक्ष व प्रधान के ही हस्ताक्षर थे। कमेटी द्वारा

					हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। 2.माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। । 3.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
5	41 दिनांक 16.01.17	शटरिंग फट्टे Bill No. 53 Dated 06.10.2016 M/s bhatti shatring store, bhojnagar. .	2000 ft @ 12	23810.00 (बिल राशि 24000.00)	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2.माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। । 3.वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।

उक्त क्रय में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत निधि का अनियमित भुगतान किया गया तथा सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं करने से सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें एवं यदि किसी प्रकार की भण्डार में कमी पाई जाती है तो इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना भी सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त अन्य नियमों का पालन न करने से अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(4)33/2017 खण्ड–1–519–522 दिनांक17.01.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत काबा कलां, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881